

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Date: 30/7/2025

Notification No. 03/2025-State Tax (Rate)

No. F.3 (7)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 72/ .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Government's Notification No. 39/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (56)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/762, dated 27th November, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1, in column 3, after the end of words and symbols“(b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government”, the words and symbols, “(c) food inputs for (a) above.” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

Note: -The principal notification number 39/2017 -State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (56)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/762 dated 27th November, 2017 and was last amended vide notification number 11/2021-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (50)/Fin(Exp-I)/2021-22/DS-I/137, dated 10/03/2022.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,



(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

No. F.3 (77)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 729/

Dated: 30/1/2025

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.



(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग,
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 03/2025-राज्य कर (दर)

दिनांक : 30/7/2025

सं.फा.3 (/ 7)/वित्त (व्यय- I)/2025-26/डीएस- I / 721/ दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की अनुशंसाओं पर एतद् द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2017 की फा0सं0 3(56)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/ डीएस-VI/762 के द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग IV की धारा 3 की उप-धारा (i) में प्रकाशित सरकार की अधिसूचना संख्या 39/2017-राज्य कर (दर) में निम्नलिखित और अधिक संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम 3 में, शब्दों और प्रतीकों, "(ख) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित आईसीडीएस या इसी प्रकार की योजना हेतु फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स) आपूर्ति " के अंत के उपरान्त शब्दों और प्रतीकों, "(ग) उपरोक्त (क) हेतु खाद्य इनपुट" को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

टीप:- मूल अधिसूचना संख्या 39/2017-राज्य कर (दर) जो दिनांक 27 नवम्बर, 2017 की फा0सं0 3(56)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/762 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित की गई थी तथा जिसे अंतिम बार दिनांक 10.03.2022 की फा0 सं0 3 (50)/वित्त (व्यय- I) 2021-22/डीएस-I/137 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 11/2021-राज्य कर (दर) द्वारा संशोधित किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,



(रविन्द्र कुमार)

संयुक्त सचिव (वित्त)

सं.फा.3 (/ 7)/वित्त (व्यय- I)/2025-26/डीएस- I / 721/

दिनांक: 30/7/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

- 3 माननीय वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 5 मुख्य सचिव के कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 8 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 9 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 10 निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।


(रविन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)